रजिस्ट्री सं० डी 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 467] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 28, 1972/कार्तिक 6, 1894
No. 467] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 1972/KARTIKA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October 1972

S.O. 682(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Dentists (Amendment) Act, 1972 (42 of 1972), the Central Government hereby appoints the 1st day of November, 1972, as the date on which the said Act shall come into force.

[No. F. 3-8/71-MPT.]

M. K. KUTTY, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1972

एस० ओ० 682(अ).—दन्त चिकित्सा (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 42) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निर्धारित करती है कि यह अधिनियम पहली नवम्बर, 1972 से लागू हो जायेगा।

[सं० 3-8/71 एम०पी०टी०]

एम०के० कुट्टी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972